उ०ॖर Ĥदेश सरकार

Ûयाय ǒवभाग अनुभाग-7

संÉया 39/एस. एल. एस. ए. 104-97
लखनऊ, 11 िसतàबर, 1997

अिधसूचना

सा.प.िन.- **98**

ǒविधक सेवा Ĥािधकरण अिधिनयम, 1987 (अिधिनयम संÉया 39 सन् 1987) कà धारा 29-क Ʈारा Ĥद०ॖशǒÈयɉ का Ĥयोग करके, उ०ॖर Ĥदेश राÏय ǒविधक सेवा Ĥािधकरण िनàनिलǔखत ǒविनयमावली बनाते है।

उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित ǒविनयमावली, 1997

अÚयाय 1

Ĥारंिभक

संǔ¢Ƹ नाम ǒवèतार और Ĥारàभ

(1) यह ǒविनयमावली उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित ǒविनयमावली, 1997 कहा जायेगा।
(2) यह सरकारȣ गजट मɅ Ĥकािशत होने के Ǒदनाँक से Ĥवृ०ॖहोगी।

पǐरभाषाएं

2. जब तक संदभ[मɅ अÛयथा अपेǔ¢त न हो इस ǒविनयमावलीमɅ :-
(क) "अिधिनयम" का ता×पय[ǒविधक सेवा Ĥािधकरण अिधिनयम, 1987 से है; (ख) "सहायता ĤाÜत" åयǒƠ का ता×पय[ऐसे åयǒƠ से है, ǔजसको ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवायɅǑकसी भी Ǿप मɅ उपलÞध कराई गई हɇ; (ग) "मुÉय Ûयायमूित[" का ता×पय[उÍच Ûयायालय के मुÉय Ûयायमूित[से है; (घ) "अÚय¢" का ता×पय[उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित के अÚय¢ से है;
(ङ) "सिमित" का ता×पय[उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित से है;
(च) "केÛġȣय Ĥािधकरण" का ता×पय[धारा 3 के अधीन गǑठत राƶीय ǒविधक सेवा Ĥािधकरण से है;
(छ) "उÍच Ûयायालय" का ता×पय[उÍच Ûयायालय, इलाहावाद से है;
(ज) "ǒविधक सेवा" के अÛतग[त Ǒकसी Ûयायालय या अÛय Ĥािधकरण या अिधकरण के सम¢ Ǒकसी मामले या. अÛय ǒविधक काय[वाहȣ के संचालन मɅ कोई सेवा Ĥदान करना और Ǒकसी ǒविधक ǒवषय मɅ सलाह देना भी है:
(झ) "लोक अदालत" का ता×पय[अिधिनयम के अÚयाय 6 के अधीन आयोǔजत लोक अदालत से है;
(ञ) "सदèय" का ता×पय[राÏय सिमित के सदèय से है;
(ट) "िनयमावली" का ता×पय[उ०ॖर Ĥदेश राÏय ǒविधक सेवा Ĥािधकरण िनयमावली, 1996 से है;
(ठ) "सिचव" का ता×पय[उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित के सिचब से है;
(ड) 'धारा" का ता×पय[अिधिनयम कà धारा से है;
(ढ) "राÏय Ĥािधकरण" का ता×पय[धारा 6 के अधीन गǑठत उ०ॖर Ĥदेश राÏय ǒविधक सेवा

Ĥािधकरण से है।

अÚयाय दो

सिमित के सदèय, कृ×य सिचव और िनिधयाँ

3. उÍच Ûयायालय ǒविधक सेवा सिमित के सदèय

1. सिमित के िनàनिलǔखत पदेन सदèय हɉगे :-

(क) उÍच Ûयायालय का एक आसीन Ûयायाधीश (मुÉय Ûयायाधीश ɮारा नािमत)	अÚय¢
(ख) इलाहाबाद मɅ राÏय सरकार का ÏयेƵतम मुÉय èथायी अिधवƠा	सदèय
(ग) लखनऊ मɅ राÏय सरकार का ÏयेƵतममुÉय èथायी अिधवƠा	सदèय
(घ) अÚय¢, हाईकोट[, बार एसोिसयेशन, इलाहाबाद	सदèय
(ङ) अÚय¢, एडवोकेट एसोिसयेशन हाईकोट[, इलाहाबाद	सदèय
(च) अÚय¢, अवध बार एसोिसयेशन, लखनऊ	सदèय
(छ) िनबÛधक, उÍच Ûयायालय	सदèय
(ज) अपर िनबÛधक, उÍच Ûयायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ	सदèय

2. मुÉय Ûयायाधीश उप ǒविनयम (3) मɅǒविनǑद[ç अनुभव और अह[ता रखने वाले åयǒƠयɉ मɅ से नौ से अिधक अÛय संदरयɉ को नाम िनǑद[ç कर सकते ह¢।

3. कोई åयǒƠ सदèय के Ǿप मɅ तब तक नाम िनǑद[çǑकये जाने के िलये अह[न होगा जब तक Ǒक वह :-

(क) कोई ऐसा ĤÉयात सामाǔजक काय[कता[न हो, जो समाज के कमज़ोर वगɟ, ǔजसमɅ अनुसूिचत जाितयɉ, अनुसूिचत जन-जाितयɉ मǑहलायɅ, बÍचे, Ēामीण और शहरȣ मजदूर भी सǔàमिलत ह¢, के उ×थान मɅ लगा हुआ हो, या

(ख) ǒविध या लोक Ĥशासन के ¢ेğ मɅĤÉयात åयǒƠ न हो, या

(ग) कोई ऐसा Éयाित ĤाÜतåयǒƠ न हो जो ǒविधक सेवा èकàम के काया[Ûवयन से ǒवशेष Ǿप से Ǒहतबƨ हो।

4. सदèयɉ कȧ पदाविध और अÛय शतɏ

1. ǒविनयम 3 के उप ǒविनयम (2) के अधीन नािमत सदèयɉ कȧ पदाविध दो वष[होगी और ऐसे सदèय पुनः नामिनदɏशन के िलये पाğ हɉगे।

2. ǒविनयम 3 के उप ǒविनयम (2) के अधीन नामिनǑद[ç सदèय को मुÉय Ûयायाधीश ɮारा हटाया जा सकता है यǑद वह :-

(क) सिमित कȧ तीन लगातार बैठकɉ मɅǒबना पया[Ü कारण के उपǔèथत होने मɅ असफल रहता है;

(ख) Ûयायिनणȸत Ǒदवािलया हो;

(ग) Ǒकसी अपराध के िलये ǔजसमɅ मुÉय Ûयायाधीश कȧ राय मɅ नैितक अधमता अÛतĒ[èत हो, दǔÖडत Ǒकया गया हो;

(घ) सदèय के Ǿप मɅ काय[करने मɅ शारȣǐरक या मानिसक Ǿप मɅ स¢म हो गया हो; या

(ङ) मुÉय Ûयायाधीश कȧ राय मɅ उसने अपनी ǔèथित का इस Ĥकार दुǾपयोग Ǒकया है ǔजससे सदèय के Ǿप मɅ उसके बने रहने से जनǑहत पर Ĥितकूल Ĥभाव पड़ता

हो;

परÛतु Ǒकसी भी सदèय को सिमित से खÖड (क) (घ) या (ङ) के अधीन नहȣं हटाया जायेगा जब तक Ǒक उसकǐ सुनवाई का अवसर न दे Ǒदया जाय।

3. कोई सदèय मुÉय Ûयायाधीश को सàबोिधत èवहèता¢ǐरत पğ[ारा सिमित कǐ सदèयता से ×याग-पğ दे सकता है और यह ×याग पğ उस Ǒदनांक से Ĥभावी होगा ǔजस Ǒदनांक को मुÉय Ûयायाधीश [ारा इसे èवीकृत Ǒकया जाय।

4. यǑद ǒविनयम 3 के उप ǒविनयम (2) के अधीन नाम िनǑद[Ý कोई सदèय ǑकÛहȣं कारणɉ से सदèय नहȣं रह जाता है तो ǐरǒƠ को इस ǒविनयम मɅ दȣ गयी रȣित से उस åयǒƠǔजसके èथान पर नामिनǑद[ÝǑकया जाय, कǐ अवशेष अविध के िलये भरा जायेगा।

(5) ǒविनयम 3 के उपǒविनयम (2) के अधीन नामिनǑद[Ýसमèत गैर सरकारȣ सदèय सिमित के काय[के सàबÛध मɅ कǐ गयी याğाओं के िलये राÏय सरकार के समूह "क" केअिधकारȣ को अनुमÛय दरɉ पर याğा भƣा और दैिनक भƣे पाने के हकदार हɉगे।

5. सिमित के कृ×य

1. सिमित का यह कƣ[åय होगा Ǒक वह केÛġȣय Ĥािधकरण और राÏय Ĥािधकरण [ारा बनाई गई और अपेǔ¢त ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह और ǒविधक सेवाओं कǐ नीितयɉ, काय[Đमɉ और योजनाओं को काया[ǔÛवत करɅ।

2. सिमित सभी या इनमɅ से Ǒकसी कृ×य का पालन करेगी, अथा[त् :-

(क) अिधिनयम या िनयमावली के अधीन इस Ĥयोजन के िलए पाğåयǒƠयɉ को ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह और ǒविधक सेवा Ĥदान करना;

(ख) उÍच Ûयायालय के वादɉ के िलए लोक अदालत का आयोजन और संचालन करना; और

(ग) वादɉ को बातचीत, मÚयèथता और सुलह [ारा िनèताǐरत करने के िलए Ĥो×साǑहत करना।

* 5क. उपसिमित का गठन

(क) 1. सिमित अपने कृ×यɉ के द¢तापूण[पालन करने के िलये उÍच Ûयायालय कǐ लखनऊ पीठ मɅ उपसिमित का गठन कर सकती है।

2. उपसिमित मɅ सिमित के ऐसे सदèय हɉगे जैसे अÚय¢[ाराǒविनǔƱत Ǒकये जायɅ।

3. उपसिमित, सिमित के ऐसे कृ×यɉ का, जैसा सिमित [ारा समय-समय पर उसे Ûयèत Ǒकया जाय, पालन करेगी।

* उ.Ĥ. सरकारȣ गजट अिधसूचना सं. 39/एस.एल.एस.ए.-104/97 Dt 11.9.1997.

4. उÍच Ûयायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ का एक अिधकारȣ, जो संयुƠ िनबÛधक कǐपंǒƠ से नीचे का न हो और जो उƣर Ĥदेश उÍचतर Ûयाियक सेवा का सदèय हो, अÚय¢[ारा उÍच Ûयायालय के ऐसे अिधकारȣ के Ǿप मɅ उप सिमित के सिचव का काय[करने के िलये िनयुƠǑकया जा सकता है। उसे उप सिमित के सिचव के कृ×यɉ के पालन और कƣ[åयɉ के िनव[हन के िलये एक हजार æपये Ĥितमास मानदेय Ǒदया जा सकता है।

6. सिमित का सिचव

1. उÍच Ûयायालय का अिधकारȣ जो संयुƠ िनबÛधक कǐ पǒƠ से नीचे का न हो और जो उƣर Ĥदेश उÍचतर Ûयाियक मेवा का सदèय हो, को मुÉय Ûयायाधीश [ारा उÍच Ûयायालय के ऐसे अिधकारȣ के Ǿप मɅ सिमित के सिचव का काय[करने के िलए िनयुƠǑकया जा सकता है। उसे सिचव के कृ×यɉ के पालन और कत[åयɉ के िनव[हन के िलए 1,000Ǿपये Ĥितमान का मानदेय Ǒदया जा सकता है।

2. सिचव, सिमित का मुÉय अिधकार8 होगा और वह :-

(क) सिमित कå समèत आŭèतयj, लेखj, अिभलेखj और िनिधयj का अिभर¢क होगा और अÚय¢ के पय[वे¢ण और िनदẹशन के अधीन काय[करेगा;

(ख) सिमित कå िनिधयj कåĤािÜयj और सǒवतरणj का सह8 और उिचत लेखा ऐसे Ǿप मΛ और ऐसी र8ित से जैसा राÏय Ĥािधकरण ɮवारा ǒविनǑद[ç कå जाय रखेगा या रखवायेगाः

(ग)

ऐसी शǒÈयj का Ĥयोग, कृ×यj का पालन और कƣतåयj का पालन और कत[åयj का िनव[हन करेगा जैĢा अÚय¢ɮवारा उसे सɋपा जाय;

(घ) सिमित के कृ×यj और कƗ[åयj के द¢ और उिचत पालन और िनव[हन के िलए सभी अÛय कायɍ को करेगा, जो समीचीन और आवæयक हो।

7. सिमित के कारबार का संåयवहार

1. सिमित कå बैठक साधारणतया Ĥ×येक तीन माह मΛ एक बार ऐसे Ǒदनाँक को और ऐसे èथान पर होगी जो सिचव ɮवारा अÚय¢ के पुवा[नुमोदन से िनǐƱत Ǒकया जाय।

2. (क) सभी नीितगत और अÛय मह×वपूण[मामलj को सिमित के सम¢ उसके ǒवचारण और ǒविनƱय के िलए लाया जायेगा।

(ख) सिमित ɮवारा सामाÛयतः या अÛयथा उसके सम¢Ĥèतुत Ǒकये जाने के िलये वांिछया अपेǐ¢त Ǒकसी ǒविशç मामले या मामलj को सिमित के सम¢ǒवचारण और ǒविनƱय के िलये Ĥèतुत Ǒकया जायेगा;

(ग) सिमित कå बैठक कå अÚय¢ता अÚय¢ɮवारा कå जायेगी;

(घ) अÚय¢ को सǔàमिलत करते हुए सात सदèय Ǒकसी बैठक कå गणपूित[हɉगे; (ङ) सिमित कåĤ×येक बैठक के िलये सदèयj को बैठक मΛ उपǔèथत होने के िलये कम से कम दो सÜताह को नोǑटस द8 जायेगी, तथाǒप अÚय¢ के िनदẹशानुसार, अãप सूचना पर आपाती बैठक बुलायी जा सकती है;

(च) आपाती मामलj के सàबÛध मΛ अÚय¢, सिमित कå शǒÈयj का Ĥयोग और कृ×यj का पालन और कत[åयj का िनव[हन कर सकते ह¢ तथाǒप ऐसे सभी मामलj को सिमित के सम¢ उसे सूचनाथ[और अनुमोदनाथ[रखा जायेगा।

3. एक या अिधक åयǒÈ, जो समाज के कमजोर वगɉ के उ×थान मΛ लगे हुये या Ǒहतयɀ हɉ, जो अÚय¢ɮवारा उपयुÈ उƧेæय से Ǒकसी बैठक के िलये आमंǒğत Ǒकये जा सकते ह¢। ऐसे åयǒÈ को ऐसी बैठक मΛ मत देने का अिधकार न होगा।

4. सिमित èवयं अपनी ĤǑĐया ǒविनयिमत करेगी।

5. सिमित को बैठक मΛ सभी Ĥưɉ का ǒविनƱय उपǔèथत और मतदान कर रहे सदèयो के बहुमत ɮवारा Ǒकया जायेगा और मतj के बराबर होने कå दशा मΛ बैठक कå अÚय¢ता कर रहे åयǒÈ का Ǒɮतीय या िनणा[यक मत होगा।

6. Ĥ×येक बैठक कå काय[वाǑहयj के काय[वƣृ सिचव ɮवारा सह8, िनƧापूव[क अिभिलǔखत Ǒकया जायेगा। काय[वƣृ कåĤित बैठक के पƱात् यथाशÈय शीē मुÉय Ûयायाधीश और राÏय Ĥािधकरण को Ĥेǒषत कå जायेगी।

<u>8. सिमित कå िनिधयां लेखे और लेखा पर8¢ा</u>

1. सिमित कå िनिध मΛ िनàनिलǔखत हɉगे; अथा[त् -

(क) अिधनियम के Ĥयोजनj के िलये सिमित को राÏय Ĥािधकरण ɮवारा भुगतान Ǒकये गये धन या Ǒदये गये अनुदान कå समरत रािशयां;

(ख) अिधनियम के Ĥयोजनj के िलये कोई अनुदान या दान, जो

सिमित को ŏकसी åयŏƠ ͳारा राॉय Ĥा͡धकरण को सू͡चत करते हुये ŏदया जाय;

(ग) कोई अÛय धनरा͡श जो ŏकसी Ûयायालय के आदेशɉ के अधीन या ŏकसी अÛय İोत से सिमित ͳारा ĤाÜत ŏकया जाय।

2. सिमित कȧ ͢निधयɉ का रख-रखाव सिमित ͳारा अनुमोŏदत ŏकसी अनुसू͡चत बɇक मɅ ŏकया जायेगा। सिचव सिमित के बɇक खाते को अÚयɢ के ͢निदɅशानुसार चलायेगा।

3. ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या अÛय ŏविधक सेवाओं के सभी खचɟ के साथ-साथ सिमित के ŏविभÛन कृ×यɉ के ͢नçपादन के ͡लये आवæयक खचɟ को सिमित कȧ ͢निधयɉ से वहन ŏकया जायेगा।

4. सिमित का लेखा उिचत Ǿप से और धारा 18 के उपबÛधɉ के अÚाधीन रहते हुये ऐसी रȣ͡त से जैसी केÛġȣय या राॉय Ĥा͡धकरण ͳारा अपेͯɢत कȧ जाय रखा जायेगा।

अÚयाय तीन

ŏविधक सेवायɅ

9. ŏविधक सेवायɅ ŏदये जाने का मानदÖड

1. उÍच Ûयायालय या केÛġȣय Ĥशासिनक Ûयाया͡धकरण, इलाहावाद और लखनऊ मɅ और राजèव पǐरषɮ, इलाहाबाद और लखनऊ मɅ या ŏकसी ŏविध के अधीन इलाहाबाद मɅ Ûया͡यक कृ×यɉ के Ĥयोग के ͡लए गŏठत ͯजला Ûयायालयɉ से ͧभÛन ŏकसी अÛय Ĥा͡धकरण के समɢ मामलɉ मɅ सिमित ͳारा ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या अÛय ŏविधक सेवायɅ Ĥदान कȧ जा सकती हɇ।

2. कोई åयŏƠ ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या अÛय ŏविधक सेवाओं का हकदार होगा यŏद वह åयŏƠ :-

(क) अनुसू͡चत जा͡त या अनुसू͡चत जनजा͡त का सदèय हɇ;

(ख) सं͵धान के अनुÍछेद 23 मɅ यथा͢नŏदǑçट मानव दुåयाɍपार या बेगार का सताया हुआ है;

(ग) èğी या बालक है;

(घ) मानिसक Ǿप से अèवèथ या अÛयथा असमथɍ है;

(ङ) अनपेͯɢत अभाव जैसे बहुŏवनाश, जातीय Ǒहंसा, जातीय अ×याचार, बाढ़, सूखा, भूकàप या औɮयो͡गक ŏवनाश कȧ दशाओं के अधीन सताया हुआ åयŏƠ है; या

(च) काई औɮयो͡गक कमɍकार है; या

(छ) अिभरɢा मɅ है, ͯजसके अÛतगɍत अनै͡तक åयापार (͢निवारण) अिधनियम, 1956 कȧ धारा 2 के खÖड (छ) के अथɍ मɅ ŏकसी संरɢण गृह मɅ, या ŏकशोर Ûयाय अिधनियम, 1986 कȧ धारा (2) के (न) के अथɍ मɅ ŏकसी ŏकशोर गृह मɅ, यां मानिसक èवाèØय अिधनियम, 1987 कȧ धारा 2 के खÖड (छ) के अथɍ मɅ ŏकसी मनोͬचŏक×सीय अèपताल या मनͬचŏक×सीय पǐरचयाɍ गृह मɅ अिभरɢा मɅ रखा गया åयŏƠ भी है; या

(ज) सभी İोतɉ से वाŏषɍक आय 25,000/- Ǿपये तक या ͢नयमावली के ͢नयम 16 के अधीन समय-समय पर यथा͢नयत उÍचतर धनरा͡श ĤाÜत करता हो;

10. ŏविधक सहायता ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवायɅ Ĥदान करने से इÛकार ŏकया जाना

1. ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवायɅ Ĥदानकरने से;

(क) ŏकसी åयŏƠ को Ûयायालय कȧ अवमानना के मामले मɅ;

(ख) ŏकसी åयŏƠ को ŏकसी ͢नवाɍचन से सàबͯÛधत कायɍवाहȣ मɅ;

(ग) मानव का दुåयाɍपार के पीŏड़त के ͧसवाय अनै͡तक åयापार (͢निवारण) अिधनियम, 1956 के अधीन कायɍवाǑहयɉ मɅ;

(घ) ͧसŏवल अधिकार संरɢण अिधनियम, 1955 के अधीन कायɍवाǑहयɉ मɅ

िसवाय Ŏकसी åयǒƠ के जो इस अिधिनयम के अधीन Ŏकसी िनयÛğणयता के अधीन रखा गया हो;

(ङ) Ŏकसी åयǒƠ को जो अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (अ×याचार िनवारण) अिधिनयम, 1989 के अधीन Ŏकये गये Ŏकसी अपराध का अिभयुƠ हो; इÛकार Ŏकया जा सकता है।

2. मानहािन या ǒवƮेषपूण[अिभयोजन के Ŏकसी मामले के संबंध मΛ भी ǒविधक सेवाओं से इÛकार Ŏकया जा सकता है जहां सिचव का समाधान हो जाय Ŏक यह तØयɉकà पूण[ता मΛ ऐसे इÛकार Ŏकये जाने का उपयुƠ मामला हैः

Ĥितबंध यह है Ŏक इस ǒविनयम के अधीन ǒविधक सेवायΛĤदान करने से इÛकार Ŏकये जाने के पूव[ǒविधक सेवायΛĤदान करने से इनकार करने के कारणɉ को अिभिलǔखत Ŏकया जायेगा और अÚय¢ का आदेश ĤाƯŎकया जायेगा।

11. ǒविधक सेवायΛĤदान करने के ढंग

िनàनिलǔखत Ŏकसी एक या अिधक ढंग से ǒविधक सेवायΛĤदान कà जा सकती है अथा[त

क.Ûयाय शुãक, आदेिशका शुãक और Ŏकसी ǒविधक काय[वाहȣ के सàबÛध मे देय या उपगत अÛय Ĥभारɉ के भुगतान के Ĥित;

ख. Ŏकसी ǒविध åयवसायी के िनयुǒƠ के माÚयम से;

ग. ǒविधक काय[वाǑहयɉ मΛ िनण[य, आदेश और अÛय दèतावेजɉ कàĤमाǔणत Ĥितयां ĤाƯ करने और उपलÞध कराने के िलयेः

Ĥितबंध यह है Ŏक Ûयाय शुãक, आदेिशका और अÛय खौ के भुगतान राÏय Ĥािधकरण के सामाÛय आदेशɉ कà सीमा तक èवीकृत हɉगे।

<u>**12.** ǒविधक सेवाओं के िलये आवेदन पğ</u>

1. ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं कà अपे¢ा करने वाला कोई åयǒƠ सिचव को सàबोिधत आवेदन पğ दे सकता है।

2. सिमित आवेदन पğɉ का एक रǔजèटर रखेगी ǔजसमΛǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं के िलये सभी आवेदन पğ अंŎकत और रǔजèĚȣकृत Ŏकये जायΛगे और ऐसे आवेदन पğɉ पर कà गयी काय[वाहȣĤ×येक ऐसे आवेदन पğ से सàबǔÛधत ĤǒवǒƴयΆ के सामने अंŎकत कà जायेगी।

13. आवेदन पğɉ का िनèतारण

1. ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं के िलये कोई आवेदन पğĤाƯ होने पर सिचव आवेदन पğɉ कà संवी¢ा अपना यह समाधान करने के िलये Ŏक वह जहां तक पाğता और िनयमावली और ǒविनयमावली कà अÛय अपे¢ाओं का सàबÛध है, ठȤक है करेगा और जहां कहȣं आवæयक हो आवेदक से यथावæयक अǓतर सूचना Ĥèतुत करने कà अपे¢ा करेगा।

2. सिचव आवेदन पğ पर ǒवचार करेगा और ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या अÛय ǒविधक सेवाओं को Ŏदये जाने या Ŏदये जाने से इÛकार करने के िलये आवæयक आदेश पाǐरत करेगाः

Ĥितबंध यह है Ŏक जहां आवेदन पğɉ को अèवीकार करने का Ĥèताव Ŏकया जाय तो वहां ऐसा करने के कारणɉ को इस Ĥयोजन के िलये रखे गये आवेदन पğɉ के रǔजèटर मΛ सàयक Øप से अिभिलǔखत Ŏकया जायेगा। अǓतर Ĥितबंध यह है Ŏक Ŏकसी åयǒƠ को ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं से इÛकार Ŏकये जाने के पूव[अÚयन का आदेश ĤाƯŎकया जायेगा। 3. ǒविधक सहायता,

ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवाओं के िलये कोई आवेदन पğèवीकृत नह8ं Ŏकया जायेगा। यŎद सिचव का समाधान हो जाय Ŏक :-

(क) आवेदक ने अपने साधनĵ के सàबÛध मΛ या Ŏकसी अÛय सारवान तØय के सàबÛध मΛ जानबूझकर गलत ŏववरण Ŏदया है या गलत सूचना द8 है (ख) यथाǔèथित, काय[वाŎहयĵ को संǔèथत करने या उनका Ĥितवाद करने के िलए कोई Ĥथम Ǻया मामला नह8ं ह¢; या

(ग) आवेदन पğ तुÍछ या तंग करने वाला है;

(घ) इस ŏविनयमावली के अधीन आवेदक उसका हकदार नह8ं है; या

(ङ) मामले कå समèत सुसंगत तØयĵ और पǐरǔèथितयĵ को Úयान मΛ रखते हुए, इसे èवीकृत करना अÛयथा समीचीन और युǒƠयुƠ नह8ंःः

परÛतु उपयु[ƠŎकÛह8ं खÖडĵ के अधीन Ŏकसी आवेदन पğ के अèवीकृत Ŏकये जाने के पूव[अÚय¢ का आदेश ĤाƯŎकया जायेगा।

14. सहायता ĤाƯåयǒƠ का कƣ[åय

Ĥ×येक सहायता ĤाƯåयǒƠ या उसका Ĥितिनिध, जब कभी सिचव या सàबƨअिधवƠा ɮवारा अपे¢ा कå जाय, सिमित के काया[लय मΛ उपǔèथत, होगा और ऐसे ŏववरण या सूचना, जैसी आवæयक समझी जाय, देगा और Ĥèतुत करेगा और इस Ĥकार अपेǔ¢त ŏववरण या सूचना को पूण[Øप से Ĥकट करेगा। वह Ûयायालय या काय[वाŎहयĵ मΛ अपने खच[पर उपǔèथत होगा।

15. पाğता का Ĥमाण पğ

1. जहां ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवाओं के िलये कोई आवेदन पğèवीकृत कर िलया जाय तो आवेदक के प¢ मΛ उसे Ŏकसी काय[वाह8 के सàबÛध मΛŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवाओं का हकदार करते हुए एक पाğता Ĥमाण-पğ जार8Ŏकया जायेगा।

2. यŎद ŏविधक सहायता, ŏविधक सलाह या ŏविधक सेवायΛ वापस ले ली जाती ह¢ तो पाğता Ĥमाण पğ िनरèत हो जायेगा, ऐसे Ĥ×येक मागले मΛ अिधवƠा ǔजसे सàबǔÛधत åयǒƠ का मामला समनुदेिशत Ŏकया गया है और साथ ह8Ûयायालय या Ûयाियक या Ûयाियक कãप Ĥािधकरण ǔजसके सम¢ मामला लǔàबत है, को भग तƧुसार िलǔखत Øप मΛ सूिचत Ŏकया जायेगा।

16. पाğता Ĥमाण पğ का िनरèतीकरण

1. सिमित या तो अपनी èवĤेरणा से या अÛयथा िनàनिलǔखत पǐरǔèथितयĵ मΛ ŏविनयम 15 के अधीन Ŏदये गये पाğता Ĥमाण पğ को िनरèत कर सकती है, अथा[त् :-

क. यह पाये जाने कå दशा मΛŎक सहायता ĤाƯåयǒƠɮवारा पाğता Ĥमाण पğ दुåय[पदेशन या कपट ɮवारा ĤाƯŎकया गया है;

ख. सहायता ĤाƯåयǒƠ कå पǐरǔèथितयĵ मΛŎकसी कोई सारवान पǐरवत[न होने कå दशा मΛ।

ग. काय[वाŎहयĵ के दौरान सहायता ĤाƯåयǒƠ कå ओर से Ŏकसी अवचार, दुåय[वहार या उपे¢ा कå दशा मΛ;

घ. सहायता ĤाƯåयǒƠɮवारा सिमित के साथ या सिमित ɮवाग उपलÞध कराये गये अिधवƠा के साथ सहयोग न Ŏकये जाने कå दशा मΛ;

ङ. सहायता ĤाƯåयǒƠɮवारा अपने åयय पर Ŏकसी अिधवƠा को िनयुƠŎकये जाने कå दशा मΛ, जो सिचव कå राय मΛ मामले कå उपयुƠØप से देख-भाल कर

सकता है;

च. सहायता Ĥाƻ åयǒƠ कȧ मृ×यु कȧ दशा मΛ िसवाय िसǒवल कायɟवाǑहयɉ के मामले मΛ जहां अिधकार या उƣरदाǓय×व उƣरजीǒवत हɉ, ऐसी दशा मΛ ǒविधक सहायता जारȣ रखी जा सकती है जहां ǒविधक Ĥितिनिध भी ऐसी सहायता के िलए पाǒ हɇ।

2. सहायता Ĥाƻ åयǒƠयɉ या उसकȧ मृ×यु कȧ दशा मΛ उसके ǒविधक Ĥितिनिध को ǒबना कारण बताने का अवसर Ǒदए, Ǒक Ĥमाण पǒÈयɉ न िनरèत कर Ǒदया जाय, खÖड (1) के अधीन कोई पाǒता Ĥमाण पǒ िनरèत नहȣं Ǒकया जायेगा।

3. जहां सहायता Ĥाƻ åयǒƠ का पाǒता Ĥमाण पǒ उप ǒविनयम (1) के अधीन िनरèत कर Ǒदया जाय वहां ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवायΛ रोक दȣ जायΛगी और ऐसी ǒविधक

सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं के िलए पहले से दȣ गई धनरािश पूरȣया आंिशक, जैसा Ǒक अÚय¢ के अनुमोदन से सिचव ɮारा ǒविनǔƱत Ǒकया जाय, वसूल कȧ जा सकती है।

17. पैनल के ǒविध åयवसायी को देय फȧस या मानदेय

1.सिमित ɮारा उपयुƠ अिधवƠाओं का, जो ऐसे åयǒƠयɉ कȧ ओर से ǔजनके प¢मΛ पाǒता Ĥमाण पǒ जारȣǑकया गया है मामलɉ या कायɟवाǑहयɉ को संचािलत करने को सहमत हɉ, का एक पैनल तैयार Ǒकया जायेगा। सामाÛयतः ऐसा तैयार Ǒकया गया पैनल दो वषɟ के िलए ǒविधमाÛय होगा। इस Ĥकार तैयार Ǒकए गए पैनल कȧ एक Ĥित राÏय Ĥािधकरण को सूचना, सलाह और िनदȶश, यǑद कोई हो, के िलए भेजी जायेगी। ऐसे अिधवƠाओं को राÏय Ĥािधकरण ɮारा समय-समय पर यथा अवधाǐरत दर पर फȧस या मानदेय का भुगतान Ǒकया जायेगा। जब तक इस Ĥकार अवधाǐरत न Ǒकया जाय, राÏय सरकार के सुसंगत आदेशɉ के अधीन इस Ĥयोजन के िलए िनधाɟǐरत फȧस या मानदेय कȧदरΛ जारȣ रहΛगी।

2.कोई ǒविध åयवसायी ǔजसे ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवाओं के िलये कोई मामला समनुदेिशत Ǒकया गया है, Ǒकसी सहायता Ĥाƻ åयǒƠ या उसकȧओर से Ǒकसी अÛय åयǒƠ से कोई फȧस या पाǐरĮिमक चाहे नकद या वèतु Ǿप मΛ कोई अÛय लाभ, आिथɟक या अÛयथा Ĥाƻ नहȣं करेगा।

3.पैनल का कोई ǒविध åयवसायी, ǔजसने सहायता Ĥाƻ åयǒƠ कȧ ओर से उसके ɮारा संचािलत कȧ गयी ǒविधक कायɟवाǑहयɉ के सàबÛध मΛ अपना समनुदेशन पूरा कर िलया है, देय फȧस या मानदेय को दशाɟते हुए एक ǒववरण Ĥèतुत करेगा, ǔजस पर सिचव सàयक संवी¢ा और अÚय¢ को अनुमोदन के पƱात सàबǔÛधत अिधवƠा को भुगतान कȧ जाने वाली धनरािश èवीकृत करेगा।

4.Ǒकसी अिधवƠा को ǒबना कोई फȧस या मानदेय िलये ǒविधक सहायता, ǒविधक सलाह या ǒविधक सेवा Ĥदान करने कȧ अनुमित दȣ जा सकती है।

5.अÚय¢, उपयुƠ मामलɉ से Ǒकसी अिधवƠा को, जो पैनल मΛ नहȣं है Ǒकसी मामले को दाǔखल या Ĥितवाद करने के िलये िनयुƠ कर सकता है।

सी.पी. िमĮा

सदèय सिचव,
राÏय ǒविधक सेवा Ĥािधकरण,
लखनऊ